RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8620/2025

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. Adesh S/o Shrawan Ram, Aged About 24 Years, R/o Kudasu, Police Station Panchu, District Bikaner (In Judicial Custody At Sub Jail, Nokha, District Bikaner)
2. Virendra S/o Shrawan Ram, Aged About 22 Years, R/o Kudasu, Police Station Panchu, District Bikaner (In Judicial Custody At Sub Jail, Nokha, District Bikaner)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Pradeep Choudhary
For Respondent(s) : Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

11/08/2025

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **आदेश व विरेन्द्र** की ओर से ये जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 320/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 व 25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण ने तर्क दिए कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष है और उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण काफी समय से अभिरक्षा में हैं। सहअभियुक्ता पूजा तावणिया की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 26.06.2025 को स्वीकार की जा चुकी है तथा सहअभियुक्त रवि पुत्र रामनिवास की

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:40:20 AM)

RAJASTHAN HIGH COURT

जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 29.07.2025 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण आदेश व विरेन्द्र को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **आदेश पुत्र श्रवणराम व विरेन्द्र पुत्र श्रवणराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 320/2025 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये के मुचलके एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो–दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

3-Vishal/-

(Downloaded on 12/08/2025 at 10:40:20 AM)